विषयः—दिनांक 01.02.2025 से 28.02.2025 के दौरान रे.सु.ब. बीकानेर द्वारा किए गए सराहनीय कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण।

संदर्भः—प्र.का.पत्रांक—उ.प.रे. / अप—उपलब्धि / रेसुब / 48 / 12 दिनांक 24.07.2012

———————————

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित की अनुपालना में लेख है कि बीकानेर मण्डल से चाही गयी सूचना दिये गये प्रारूप पर तैयार कर भेजी जा रही हैः—

1. यात्री मित्र बुथ द्वारा यात्रियों को सहायताः—

क्र.स.	सुविधाओं का विवरण	
1	यात्रियों को रेसुब सहायता बूथ से सूचना प्रदान की गयी	45
2	यात्रियों को व्हील चेयर की सुविधा प्रदान की गयी	02
3	यात्रियों को चिकित्सा सुविधा दिलवायी गयी	...
4	लावारिश बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गो को एनजीओ / परिजनों को सुपुर्द किये गये।	16 Children+04women +01 Men =21

2. खोये पाये बच्चे / महिलाओं / व्यक्तियों का विवरणः—

क्र. सं.	लावारिस पाये गये व्यक्तियों के नाम पते व विवरण	फोटोग्राफ
1.	दिनांक 01.02.2025 को रोजनामचा लेखक कास्टे0 राजेश कुमार को मण्डल सुरक्षा नियत्रण कक्ष से सूचना मिली कि सवारी गाडी स0—12323 के कोच एस.—06 में एक लडकी लावारसी हालत में यात्रा कर रही है उक्त सूचना पर ऑन डयुटी कास्टे0 सत्यवीर ने उक्त गाडी के उक्त को सादुलपुर रेलवे स्टेशन आगमन पर अटैण्ड करने पर एक लड़की लावारिस एव गुमशुम बैठी हुई थी। उक्त बच्ची को सादुलपुर स्टेशन पर उतार कर नाम पता पुछने पर अपना नाम खुशी पुत्री श्री बाबुलाल उम्र—14 वर्ष निवासी रेनवाल जयपुर राज. होंना बताया। उक्त लडकी कों स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में बैठाया गया व जरिये दुरभाष चाईल्ड हेल्प लाईन न0 1098 पर सम्पर्क कर बच्ची की पुर्ण जानकारी दी बाद चाईल्ड हेल्प लाईन चूरू से निखील सिंह व रविन्द्र सिंह, कलपना सैनी चाईल्ड हेल्प लाईन चूरू के समक्ष पेश होने पर निरी. सादुलपुर द्वारा दिनांक 02.02.2025 को रूबरू गवाहन हैड. कास्टे0 मानसिंह के समक्ष चाईल्ड हेल्प लाईन चूरू को सुपुर्द कर पावती प्राप्त की गई।	
2.	दिनांक 03.02.25 को प्लेटफार्म डयूटी पर तैनात कांस्टेबल रामलखन को एक लावारिस महिला सूरजकली पत्नी श्री बिन्देष्वरी, निवासी गांव अलापुर, पुलिस थाना नबाबगंज, जिला प्रतापगढ (यूपी) श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं 2 / 3 के अन्तिम छोर सूरतगढ साईड उक्त लावारिस महिला मिली जो मंद बुद्धी लग रही है, जिसने अपना नाम पता उक्त बताया। तपोवन महिला आश्रम को जरिये मोबाईल सूचना दी गई। उक्त लावारिस महिला स्वस्थ हालात में तपोवन महिला आश्रम श्रीगंगानगर की एलडीसी संजू चौधरी को सुरक्षा की दृष्टी से सौंपा व अग्रिम कार्यवाही हेतु तपोवन महिला आश्रम श्रीगंगानगर भेजा गया।	
3.	दिनांक 06.02.2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बीकानेर द्वारा ऑपरेशन डिग्निटी के तहत श्रीमान् प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अत्तर पश्चिम रेलवे श्री ज्योति कुमार सतीजा व मण्डल सुरक्षा आयुक्त श्री संजय पीसे के निर्देशन में निरीक्षक सुभाष बिश्नोई के निर्देशानुसार रेलवे स्टेशन बीकानेर पर सउनि प्रवीन कुमार, है.ड कां. राजेन्द्र कुमार, कां. सुरेश कुमार को दौराने गश्त प्लेटफार्म नं. 4—5 पर एक असहाय बीमार व्यक्ति लेटा हुआ मिला। जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम किशन सिंह, पुत्र श्री शेरसिंह, उम्र— 65 वर्ष, नि. कुरूक्षेत्र हरियाणा का बताया। कोई भी अपने साथ नहीं होना बताया एवं कोई पहचान आईडी भी अपने पास नहीं	

	बताई व पैरो से कमजोरी के कारण चलने में असमर्थ होना बताया। जिसे चाय नाश्ता करवाकर बेहतर देखभाल/संरक्षण हेतु स्वंय सेवी संस्था अपना घर आश्रम/शाखा रानी बाजार, बीकानेर से समन्वय कर आश्रम से आए श्री किशन सिंह व उसके साथ आये सेवा साथी दानवीर को ऑपरेशन डिग्निटी के तहत सुपूर्द किया व अपना घर आश्रम भिजवाया।	
4.	दिनांक 06.02.2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बीकानेर द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे स्टेशन बीकानेर पर उनि अजय मय कॉ0 जसवीर के साथ दौराने गस्त रेलवे स्टेशन बीकानेर के प्लेटफार्म न. 01 के लालगढ साईड चैकिगं के दौरान 03 लावारिस बच्चे स्टेशन पर घुमते हुऐ मिले जिनसे मधुर व्यवहार मे पुछताछ करने पर उक्त बच्चो ने अपना नाम पता क्रमशः हैः–01. आयान खान पुत्र श्री नफीस खान उम्र–14 वर्ष, निवासी–प्रताप बस्ती बीकानेर (राज.)02. फरान खान पुत्र श्री नफीस खान उम्र–13 वर्ष, निवासी–प्रताप बस्ती बीकानेर (राज.)03. अमीत पुत्र श्री अशोक उम्र 13 वर्ष, निवासी–भुट्टों का बास, बीकानेर (राज.) उनि ने तीनों बच्चो को अच्छे वातावरण मे ले जाकर चाय नाश्ता करवाया व मधुर व्यवहार से बीकानेर स्टेशन पर आने बाबत पूछताछ करने पर उक्त तीनों बच्चे (03 लडके) ने घर पर बिना बताये घुमना आना बताया। तीनों बच्चों ने अपने घर का सम्पर्क नम्बर बताने में असमर्थता जाहिर की जिस पर उनि ने उक्त सूचना 1098 चाईल्ड हैल्प लाईन को सूचित किया तथा तीनों बच्चों को स्वस्थ हालत में उनि ने रूबरू गवाहन CHD सुपरवाइजर निलेश सुथार को अग्रिम कार्यवाही हेतु सही हालत में अभियान बचपन बचाओ व नन्हें फरिश्ते के तहत दिनांक 06.02.2025 को CHD रेलवे स्टेशन बीकानेर को सुपुर्द किया गया।	
5.	दिनांक 12.02.2025 को गाडी स0 12457 में आन डयुटी गार्ड ने ऑन डयुटी कास्टे कैलाश कुमार को एक लडकी को सुपुर्द किया और बताया कि यह लडकी घर से भागकर आयी है बाद कास्टे कैलाश कुमार के द्वारा उनि0 पूनम सैनी के समक्ष पेश करने पर पुछताछ करने पर नाम पता पुछने पर लडकी ने अपना नाम मुस्कान पुत्री श्री विजय मण्डल उम्र–17 वर्ष निवासी आरजे 19 खुशीराम पार्क गली न0–03 मटीयाला नई दिल्ली होना बताया और धर से नाराज होकर भागकर आना बताया लडकी से धर का नम्बर 8527755790 पर बच्ची की माता इन्दु देवी व पिता विनय मंडल से बात कर लडकी लोहारू रेसुब आउट पोस्ट पर होना बताया बाद उक्त लडकी की सुचना CWC चेयरमैन को सुचना दी बच्ची को चाय नाश्ता खाना इत्यादी करवाया गया बाद बच्ची के माता पिता उनि पूनम सैनी के समक्ष पेश होने पर बच्ची की पहचान कि और बच्ची ने भी अपने माता पिता होना व बताया हमारी लडकी घर से नाराज होकर घर से निकल गई थी बाद में बच्ची के द्वारा घर से भागने की माता पिता से माफी मागी और बच्ची ने वापस घर जाने को कहा पुर्ण पहचान व तस्दीद कर CWC चेयरमैन व जीआरपी स्टॉफ के समक्ष बच्ची को सही हालत में सुपुर्द कर पावती प्राप्त कि गई बच्ची के माता पिता ने रेसुब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया।	
6.	दिनांक 12.02.2025 को सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह मय स्टॉफ को गस्त के दौरान रेलवे स्टेशन लालगढ के प्लेटफार्म नंबर 01 के बीकानेर साईड में 04 बच्चे प्लेटफार्म पर घुमते हुये मिले। जिनसे पूछताछ करने पर बच्चों ने अपना नाम पता क्रमश 01 कार्तिक कुमार पुत्र श्री बबलू उम्र– 05 वर्ष निवासी बिहार, 02 रोनक पुत्र श्री रोमान पासवान,उम्र 06 वर्ष निवासी बिहार 03 निखिल कुमार पुत्र श्री रामराज उम्र 10 वर्ष निवासी बिहार 04 सोनू कुमार पुत्र श्री रामजलन पासवान उम्र 08 वर्ष निवासी बिहार बताया तथा स्टेशन पर आने के बारें में पूछने पर घर से बिना बताये आना	

	बताया और इसके अलावा कुछ नहीं बता रहे है। बच्चों को बाहर प्लेटफार्म पर खूले वातावरण में बैठाकर बिस्कूट खिलाया गया। बच्चों की सूचना चाईल्ड हैल्प डैस्क नंबर 1098 पर दी गई और ऑन डयुटी स्टेशन मास्टर को भी सूचित किया गया। सूचना पर चाईल्ड हैल्प डैस्क के प्रतिनिधि श्रीमती प्रवीण चौहान रेसुब पोस्ट लालगढ़ उपस्थित हुई, जिनके द्वारा भी बच्चों से पूछताछ की गई। सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह द्वारा बच्चों को चाईल्ड हेल्प डेस्क टीम सदस्य श्रीमती प्रवीण चौहान को अभियान ''नन्हे फरिश्ते के तहत'' स्वस्थ हालत में सुपुर्द कर पावती प्राप्त की गई।	
7.	दिनांक 12.02.2025 को उप निरीक्षक डूंगर सिंह मय डयूटी स्टाफ हैड कां. नत्थु राम एंव श्रीमति नाजु अरोडा, टीटीआई/श्रीगंगानगर पर दौराने चैकिंग एफओबी के पास एक लडका गुमसुम हालात में मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम पता रोहित पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह, उम्र 16 वर्ष, निवासी गिदडबाहा, पुलिस थाना गिदडबाहा, जिला मुक्तसर, (पंजाब) बताते हुए बताया कि वह टयूश्न पढने के लिए गया था, परन्तु वहां से डर के कारण रेलवे स्टेशन गिदडबाहा चला गया तथा रेलवे स्टेषन से ट्रेन में अम्बाला चला गया। बाद अम्बाला से ट्रेन पकडकर मैं श्रीगंगानगर रेलवे स्टेषन पहुंच गया हूं और अपने घर जाना चहता हूं। जिससे माता–पिता का मोबाईलन नम्बर पूछने पर अपने पिता का मोबाईल नम्बर 9814766474 बताया। उक्त मोबाईल नं. पर उप निरीक्षक द्वारा कॉन्टेक्ट करने पर अपना नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री माम राज उम्र 45 वर्ष, निवासी चेहल टीवी सैन्टर वार्ड नं. 03, भारू चौक, गिदडबाहा, जिला मुक्तसर साहिब(पंजाब) बताते हुए बताया कि कल से मेरा पुत्र रोहित टयूश्न के लिए गया था परन्तु घर नहीं आया, जिसको ढूंढ रहे हैं। इसको लेने के लिए श्रीगंगानगर पहुंच रहे हैं। बाद उक्त बच्चे को ससीटीवी कार्यालय लेकर आये, प्यार से पूछताछ की, चाय नाष्ता करवाया, तथा स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर स्वयं को स्वस्थ होना बताया। बाद मन उप निरीक्षक थाना हाजिर के समक्ष उक्त व्यक्ति हाजिर हुआ, जिसने अपने आधार कार्ड तथा बच्चे के आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। बाद सबके सामने पूछने पर बच्चे ने अपने पिता के साथ ही जाना बताया। बाद बच्चे को स्वस्थ हालत में रूबरू गवाहन समक्ष सुपुद कर्र पावती ली गई।	
8.	दिनांक 15.02.2025 को सवारी गाडी सं0 22421 के रतनगढ स्टेशन आगमन पर ऑन डयूटी ट्रेन मैनेजर श्री दलीप सिंह मु0 जोधपुर ने जरिये वॉकी टॉकी पर सूचना दिया कि ऑन डयूटी आरपीएफ स्टाफ गाडी के गार्ड ब्रेक को अटेण्ड करें, कि सूचना पर प्लेटफार्म स0 02 पर डयूटीरत स्टाफ उक्त गाडी के गार्ड ब्रेक पर पंहुचा तो उक्त ट्रेन मैजेनर ने एक महिला जो गाडी से उतरकर प्लेटफार्म पर खडी थी, के बाबत बताया कि यह महिला गलत गाडी में बैठकर आ गई है व जिसके बाबत एक लिखित मीमो जारी किया। उक्त महिला घर से भटकी हुई व मंदबुद्दि लग रही है। जिस पर ऑन डयूटी रेसुब स्टाफ द्वारा उक्त महिला को वहीं प्लेटफार्म पर बनी बैचं पर बैठाया व रेसुब चौकी में महिला स्टाफ अवकाश में होने के कारण रारेपु रतनगढ पर समन्वय किये जाने पर भी महिला स्टाफ अवकाश में होने के कारण सहायक मण्डल अभियन्ता कार्यालय रतनगढ में कार्यरत महिला कर्मचारी को बुलाया गया व प्लेटफार्म पर उक्त महिला के पास वास्ते निगरानी बैठाया गया। महिला कर्मचारी द्वारा पुछने पर उक्त महिला ने अपना नाम नीलम तीवारी पुत्री श्री कमल किशोर तीवारी निवासी गावं–रास्तपुर, कानपुर देहात, जिला–कानपुर उ0प्र0 होना बताया जो घर से परिजनो के साथ किसी प्रोग्रम में जाते समय भटक जाना बताया उक्त महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष हैं उक्त महिला ने एक मोबाईल न0 9236979351 दिया जो अपने भाई का होना बताया जिस पर सम्पर्क करने पर मोबाईल पर कॉल उठाने वाले ने अपना नाम राजेस तीवारी बताकर उक्त महिला बाबत पुछने पर अपने आप को उक्त महिला का भाई होना बताया व बताया कि उसकी उक्त बहन कानपुर से उज्जैन दर्शन करने जाने के दौरान भीड में गुम होना बताया व जिसके बाबत उन्होने अपने नजदीकी पुलिस थाने में दिनांक 12.02.25 को गुमशुदगी दर्ज करवा रखी होना बताया । नारी निकेतन चुरू पर उक्त के बाबत संम्पर्क किया जाने पर उन्होने स्टाफ नहीं होने व रतनगढ आकर उक्त महिला को ले जाने में असमर्थता जाहिर	

	किया । बाद मार्फत अपना घर आश्रम बीकानेर से समन्वय करने पर श्री किशन सिंह मय स्टाफ के रेलवे स्टेशन रतनगढ आने पर रूबरू गवाहन के समक्ष उक्त महिला को सुपुर्द कर पावती ली जा रहीं है।	
9.	दिनांक 15.02.25 को मण्डल सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष बीकानेर से सूचना पर सवारी गाडी संख्या 12456 के कोच संख्या बी–3 में कां. विजय सिंह द्वारा चैक करने पर एक लडकी गुमसुम हालत में बैडी हुई मिली। जिसको विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम पता निषा पुत्री श्री मोहन लाल, उम्र 17 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 15, केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर बताया तथा बताया कि घर में कहासुनी होने पर वह कहीं जा रही है। जिसे रेसुब कार्यालय उनि डूंगर सिंह व महिला टीटीई नाजू अरोडा के समक्ष लाया गया। उनि डूंगर सिंह द्वार प्यार से पूछताछ की जिसने अपन पिताजी का मोबाईल नं. 9772325313 बताया। जिस पर बात करने पर लडकी के पिताजी श्री मोहनलाल से बात हुई। जिन्होने बताया कि यह लडकी उन्ही की है और सांयकाल को बिना बताये घर से कहीं चली गई थी और वे उसे ढूंढ रहे हैं और लेने के लिए श्रीगंगानगर आ रहे हैं। दिनांक 16.02.25 को उप निरीक्षक हाजिर कार्यालय के समक्ष एक व्यक्ति जिसने अपना नाम पता मोहन लाल पुत्र श्री लालचन्द, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 15 केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर बताया। बच्ची निषा द्वारा उक्त व्यक्ति को पिता बताकर तस्दीक किया, आधार कार्ड से तस्दीक किया। बाद बच्ची को स्वस्थ हालत में रूबरू गवाहन के समक्ष उसके पिताजी को सुपुर्द कर पावती ली गई।	
10.	दिनांक 17.02.2025 को रोजनामचा डयुटी पर तैनात हैड कानि0 बुधराम को एक लावारिस महिला स्वाती पत्नि श्री रामविलास उर्फ रामु, उम्र 33 वर्ष, निवासी बाहवडी पुलिस थाना शामली, जिला शामली (उ.प्र.) श्रीगंगानगर रेलवे स्टेषन के प्लेटफार्म नम्बर 1 पर आरपीएफ सीसीटीवी कार्यालय के सामने उक्त लावारिस महिला मिली जो मंद बुद्धी लग रही हैं, जिसने अपना नाम पता उक्त बताया तथा अपने पिता सुधीर गुप्ता को मोबाईल नम्बर 9359787406 व पति का मोबाईल नम्बर 9557317835 बताया, जिनके मोबाईल पर वार्ता कर उक्त के बारे में बताया, जिन्होने बताया कि दिमागी हालत ठीक नहीं हैं, घर से चली जाती हैं, हम लेने के लिए श्रीगंगानगर आ रहे हैं, तपोवन महिला आश्रम को जरिये मोबाईल सूचना दी गई। उक्त लावारिस महिला मय बच्ची उम्र 2 वर्ष (नाम मिस्टी) दोनों स्वास्थय हालात में तपोवन महिला आश्रम की अंकाउंट मैनेजर सुमन एवं एलडीसी संजु चौधरी को सुरक्षा की द्वष्टि से अग्रिम कार्यवाही आश्रय हेतु तपोवन आश्रम श्रीगंगानगर भेजा जा रहा है।	

11.	दिनांक 17–02–25 को ऑन ड्यूटि स्टाफ हैड कांस्टेबल नौरंगदास व कांस्टेबल बनवारी लाल राजकीय रेलवे पुलिस को दौराने ड्यूटि समय लगभग 18–30 बजे प्लेटफॉर्म नबर 01 पर एक महिला गुमशुदा हालत व सहमी हुई बैठी दिखाई दी जिसके पास जाकर पूछताछ की तो बताया की मेरा नाम शौबा पत्नी श्री रणजीत उम्र 45 वर्ष पता गाँव रामसिंहपुर 60 जीबी तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जिससे पूछताछ करने पर कुछ नही बताया तथा रोने लगी बाद घर के संपर्क नंबर पूछे तो अपने बेटे कृष्ण मोबाइल नंबर 9982672476 का बताया जिससे संपर्क किया तो उक्त महिला का बेटा कृष्ण ने बताया की यह मेरी माता जी है जो घर से नाराज होकर व लड़ झगड़ कर घर से आ गई है आप इनको अपने पास रखो हम इनको लेने आ रहे है कुछ समय बाद समय लगभग 19–30 बजे रेसूब चौकी सूरतगढ़ पर महिला की भांजी उर्मिला देवी पत्नी राघविंदर सिंह वार्ड नंबर 05 मानकरसर गंगानगर राजस्थान 335804 मोबाइल नंबर 9462896791 आई जिसने बताया की शौबा पत्नी श्री रणजीत मेरी मामी है जो को शाम को घर से लड़कर निकल गई थी। उप निरीक्षक अजय लाम्बा ने पूर्ण तसदीक कर व संबंधित कागजात प्राप्त कर उनि ने रूबरू गवाहनो के समक्ष भांजी उर्मिला देवी को सुपुर्द्ध की गई रेसुब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जिस हालत मे मिली उसी हालत में उपरोक्त गवाहत के समक्ष सुपुर्द कर पावती प्राप्त की ।	
12.	दिनांक 20.02.2025 को उनि अजय, सउनि श्रीनिवास मय टीओपीबी टीम के साथ दौराने गस्त रेलवे स्टेशन बीकानेर के प्लेटफार्म न. 02–03 के मेडता रोड़ साईड 02 लावारिस बच्चे स्टेशन पर स्कूल ड्रेस पहने हुए स्कूल बैग के साथ घुमते हुऐ मिले जिनसे मधुर व्यवहार से पुछताछ करने पर दोनो बच्चो ने अपना नाम पता 1) घनश्याम पुत्र श्री जयनारायण उम्र–14 वर्ष, 2) आनन्दी पुत्री श्री जयनाराण–10 वर्ष, निवासी–लक्ष्मीनाथ के मंदिर के पास बीकानेर राज बताया। मन उप निरीक्षक अजय ने दोनों बच्चों को अच्छे वातावरण मे ले जाकर चाय नाश्ता करवाया व मधुर व्यवहार से बीकानेर स्टेशन पर आने बाबत पूछताछ करने पर उक्त दोनों बच्चे (01 लडके व 01 लडकी) ने घर पर बिना बताये स्कूल से भाग कर स्टेशन पर घूमने के लिए आना बताया। उक्त दोनों बच्चों को उनि ने उक्त सूचना 1098 चाईल्ड हैल्प लाईन को सूचित किया तथा दोनो बच्चो को स्वस्थ हालत में उनि ने रूबरू गवाहन CHD सुपरवाइजर दुर्गा राठौड को अग्रिम कार्यवाही हेतु सही हालत में अभियान बचपन बचाओ व नन्हें फरिश्ते के तहत दिनांक 20.02.2025 को CHD रेलवे स्टेशन बीकानेर को सुपुर्द किया गया।	
13.	दिनांक 24.02.2025 को उप निरी. जगबीर सिंह न स्टेशन ऐरिया गस्त के दौरान प्लटफार्म न0 01 पर एक्सीलेटर मशीन के पास एक घबराया हुआ बच्चा बैठा दिखाई दिया नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अशोक कुमार पुत्र श्री स्वर्गीय राजू राम उम्र–लगभग 12 वर्ष निवासी गॉव देचू तह. बालोत्रा जिला जोधपुर राज0 बताया बच्चे को अच्छे वातावरण मे ले जाकर चाय नाश्ता करवाया व मधुर व्यवहार से बीकानेर स्टेशन पर आने का कारण पूछा तो बताया कि मेरे माता पिता नही है मेरे चाचा मुझे खाना नही देते हैं। जिसके कारण मैं परेशान होकर घर से भागकर आया हूँ। उनि ने रूबरू गवाहन CHD सुपरवाइजर निलेश सुथार को अग्रिम कार्यवाही हेतु सही हालत में अभियान बचपन बचाओ व नन्हें फरिश्ते के तहत CHD रेलवे स्टेशन बीकानेर को सुपुर्द सुपुर्द कर पावती ली गई।	

14.	दिनांक 25.02.2025 को सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह हमराह हैड कांस्टेबल गोपालस्वरूप को गस्त के दौरान रेलवे स्टेशन लालगढ के प्लेटफार्म नंबर 01 पर गाडी सं. 14722 के आगमन पर कोच सं. एस–2 के ऑन डयुटी टीटीआई श्री प्रवीण कुमार ने एक बच्चा सुपुर्द किया तथा बताया कि यह लुनकरनसर स्टेशन से एस–2 कोच में चढा। जिनसे पूछताछ करने पर बच्चे ने अपना नाम गुरबाज सिंह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह उम्र 17 वर्ष निवासी गांव सिवन जिला कैथल हरियाण बताया तथा गाडी पर आने के बारें में पूछने पर घर से बिना बताये आना बताया और घर के मोबाईल नं. 9992509182 बताया जिससे सम्पर्क करने पर उसने अपना नाम स्वर्ण सिंह तथा उक्त बच्चा स्वयं का होनो बताया तथा यह भी बताया कि यह बच्चा थोडा मन्दबुधि है व एक दिन पहले घर से बिना बताये निकलना बताया। बच्चे को बाहर प्लेटफार्म पर खूले वातावरण में बैठाकर चाय बिस्कूट खिलाया गया। बच्चे की सूचना चाईल्ड हैल्प डैस्क नंबर 1098 पर दी गई और ऑन डयुटी रा.रे.पु. व स्टेशन मास्टर को भी सूचित किया गया। सूचना पर चाईल्ड हैल्प डैस्क के प्रतिनिधि विशाल सैनी व भवानी शंकर रेसुब पोस्ट लालगढ़ उपस्थित हुई, जिनके द्वारा भी बच्चों से पूछताछ की गई। बाद मन सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह द्वारा बच्चों को चाईल्ड हेल्प डेस्क टीम सदस्य विशाल सैनी व भवानी शंकर को रूबरू गवाहान के अभियान ''नन्हे फरिश्ते के तहत'' स्वस्थ हालत में मय सामान के सुपुर्द कर पावती प्राप्त की गई।	

3. सराहनीय कार्यः–

1.	दिनांक 30.01.2025 को निरीक्षक प्रभारी रेसुब पोस्ट सादुलपुर को स्टेशन अधीक्षक चिड़वा द्वारा दिया कि एक यात्री जो सीकर से चिड़ावा तक कि यात्रा कर रहा था यात्रा के दौरान भिड़ अधिक होने के कारण बैग सवारी गाड़ी सख्या 04706 के जनरल कोच में रह गया है उक्त सूचना को रेसुब पोस्ट सादुलपुर पर ऑन ड्यूटी कांस्टेबल सतीस कुमार को दिये जाने पर कांस्टेबल ने उक्त गाड़ी के आगमन पर उक्त कोच को चैक किया उक्त कोच में एक लावारिस बैग दिखाई दिया जिसके सम्बन्ध में कोच के अन्दर यात्रियों से पुछताछ किया तो किसी ने अपना होना नही बताया एव बताया कि किसी यात्री का रह गया है जो शायद पीछे किसी स्टेशन पर उतर गया है बाद आज दिनांक 01.01.2025 को मन् निरीक्षक महेन्द्र सिंह हाजिर कार्यालय के समक्ष एक व्यक्ति आया और अपना नाम एव पता आर्यन पूनियॉ पुत्र श्री राकेश कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी बहल जिला भिवानी मोबाईल नम्बर 7372900610 बताते हुए अपनी पहचान के कागजात प्रस्तुत किये पूर्ण तस्दिक होने पर रूबरून गवाहन के समक्ष पिठू बैग को चैक करवाया तो बैग के अन्दर जेकेट व 02 जोड़ी जुते जो सही होना बताया एव बताया कि उक्त सामान की कीमत 7000(सात हजार रूपये) तो रूबरून गवाहन के समक्ष सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त।
2.	दिनांक 02.02.2025 को सउनि प्रवीन कुमार रेसुब भिवानी के समक्ष एक व्यक्ति नाम व पता संजय पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह उम्र–30 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 13 शिवनगर हिसार हरियाणा मोबाईल नम्बर 8950502514 हाजिर हुआ तथा दिनांक 01.02.2025 को सवारी गाडी संख्या 54781 में बैग छूट जाना बताया। जिसके सूचना उसके द्वारा 139 पर काल कर दी गई। बाद रेसुब कंट्रोल बीकानेर की सूचना पर उक्त गाड़ी के सामान्य कोच से दिनांक 01.02.2025 को एक काले रंग का बैग उतारकर रेसुब पोस्ट भिवानी पर रखा गया है। पेश हुये व्यक्ति संजय ने बताया कि वह सवारी गाड़ी सं 54781 में हिसार से भिवानी तक यात्रा कर रहा था। गाड़ी के अन्दर बैग रखकर वह पानी की बोतल लेने प्लेटफार्म पर उत्तरा तो गाड़ी चल पड़ी और बैग गाड़ी में रह गया। गाड़ी में बैग रहने पर उसके द्वारा 139 पर कॉल कर रेसुब से मदद मांगी थी। ऑन ड्युटी स्टाफ द्वारा बैग की बरामदी कर उक्त यात्री को अवगत कराया सउनि प्रवीन कुमार द्वारा रेसुब पोस्ट भिवानी पर उपस्थित हुये उक्त यात्री व काले रंग के सम्बन्ध में पूर्ण तस्दीक कर, बैग की पहचान करवाने पर उसने अपना होना बताया काले रंग का बैग को चैक करने पर उसकी माताजी की दवाई, 02 किग्रा मूंगफली, 03 जोड़े पुराने कपड़े। एक

	मोबाईल चार्जर मिले। उक्त बैग को आवश्यक तस्दीक पूर्णकर यात्री को सही सलामत सुपूर्द कर फोटोग्राफी कर पावती ली गई। उक्त यात्री द्वारा काले रंग बैग व सामान की अनुमानित कीमत 1500/–रूपये बताई गई।
3.	दिनांक 03.02.2025 को उनि महेश कुमार को सैक्शन गस्त के दौरान स्टेशन मास्टर नोहर ने जरिये फोन से सूचना दिया कि सवारी गाड़ी सख्या 54764 के सामान्य कोच में एक यात्री का पिठू बैग छुट्ट गया है उक्त सूचना पर हैड कांस्टेबल नरेश कुमार के साथ उक्त गाड़ी के गोगामेंड़ी स्टेशन पर पहुचने पर उक्त गाड़ी को चैक किया तो उक्त गाडी के सामान्य कोच में एक लावारीस बैग दिखाई दिया यात्रियों से पुछने पर किसी ने अपना होना नही बताया एव बताया कि किसी यात्री का रह गया है जो पीछे किसी स्टेशन पर उतर गया है बाद उक्त बैग को गोगामेंड़ी स्टेशन कार्यालय में लाकर रखा गया एव उक्त की सूचना स्टेशन मास्टर नोहर को दिया गया कुछ समय बाद एक यात्री रेलवे स्टेशन गोगामेड़ी आया और अपना नाम एव पता हरिश चन्द्र पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र 33 वर्ष निवासी चमड़िया पट्टी –1 बस्ती चौक श्रीगंगानगर 9461911555 एव अपनी पहचान के कागजात प्रस्तुत करते हुए श्रीगंगानगर से नोहर तक रेल यात्रा टिकिट प्रस्तुत करने एव पूर्ण तस्दिक होने पर रूबरून गवाहन के समक्ष उक्त बैग को चैक करवाया गया तो उक्त बैग के अन्दर एक लैपटॉप, एक मोबाईल जिनकी कीमत **45,000(पेंतालीस हजार रूप्ये)** होना बताया बाद उक्त बैग को सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की।
4.	दिनॉक 03.02.2025 को ड्यूटीरत ड्यूटी अधिकारी स.उ.नि. असलम खांन व है0का0 राजबीर को दौराने गस्त प्लेटफॉर्म नं. 01 हिसार रेलवे स्टेशन पर एक काले रंग का हैण्ड बैग लावारिश हालत मे पड़ा हुआ दिखायी दिया जिसकी निगरानी की तथा बुकिंग कार्यालय से उद्घोषणा करवाई, लेकिन कोई भी यात्री बैग लेने नहीं आया जिस पर बैग को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय मे ले जाया गया तो उसी समय बैग मे से मोबाईल की घंटी की आवाज सुनाई दी तो चैक करने पर उसमें रियल–मी (नराजो) कम्पनी का मोबाईल मिला जिस पर आयी कॉल को रिसीव करने पर सामने वाले ने अपना नाम व पता राम अवतार पुत्र श्री सुधन राम, निवासी–वार्ड न0 17, अमर मार्केट मोची मौहल्ला, गली न0 01 हांसी, जिला हिसार (हरि.) मो.न. 8053528291 बताया तथा बताया कि वह हिसार से हांसी की यात्रा करने के लिऐ बुकिंग खिड़की पर टिकट ले रहा था और ट्रेन आने पर जल्दबाजी में अपना बैग प्लेटफॉर्म पर ही भूल गया जिस पर उसको बैग मय मोबाईल रे.सु.ब. थाना हिसार में होना बताया जाने पर उसने बताया कि वह सुबह आकर अपना बैग ले–लेगा। दिनांक 04.02.2025 को समय करीबन 11.00 बजे एक व्यक्ति रे.सु.ब. पोस्ट, हिसार पर उपस्थित हुआ तथा अपना आधार कार्ड प्रस्तुत कर अपना परिचय नाम–पता राम अवतार पुत्र श्री सुधन राम, निवासी–वार्ड न0 17, अमर मार्केट मोची मौहल्ला, गली न0 01 हांसी, जिला हिसार (हरि.) बताया तथा बताया कि कल दिनांक 03.02.2025 को ट्रेन से अपने घर हांसी जाते समय जल्दबाजी मे अपना हैण्ड बैग प्लेटफॉर्म पर छूट गया था, जो आपके थाने में जमा है और लेने के लिए आया है। जिससे बैग मय मोबाईल के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ करने पर बैग मे अपना मोबाईल मय चार्जर तथा 12700/–रू नगद व उ.नि. के द्वारा उनका नाम–पता तसदीक कर पूर्ण जांच पड़ताल उपरान्त सही अवस्था में जरिये सुपुर्दगीनामा रुबरु गवाहन के समक्ष रामअवतार को सुपुर्द कर फोटोग्राफी की। जिस पर बैग मय मोबाईल मालिक द्वारा रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया है तथा बैग में रखे मोबाईल की वर्तमान कीमत 15000/–रुपये तथा 12700/–रू नगद कुल 27700/–रू बतायी है।

5\. दिनांक 04.02.2024 को मण्डल सुरक्षा नियत्रण कक्ष बीकानेर से सूचना प्राप्त हुई कि सवारी गाड़ी सख्या 14824 के सामान्य कोच में एक यात्री का बैग रह गया है उक्त सूचना पर कांस्टेबल राजेश कुमार को अवगत करवाया गया तो उक्त गाड़ी के रेलवे स्टेशन सादुलपुर पर पहुचने पर कांस्टेबल ने सामान्य कोच को चैक करने पर एक लावारीश बैग दिखाई दिया यात्रियों से पुछने पर बताया कि यह बैग रेवाड़ी से गाड़ी चलने के बाद से ही पड़ा है और किसी ने अपना होना नही बताया बाद उक्त बैग को रेसुब पोस्ट पर लेकर आये। स0उ0नि0 रामकिशोर हाजिर कार्यालय रेसुब पोस्ट सादुलपुर के समक्ष एक महिला रेसुब पोस्ट पर उपस्थित हुई और बताया कि स्वंय का पति रेवाड़ी स्टेशन पर पानी पिने के लिए उतरा तो पीछे से गाड़ी निकल गई, अपने पति का बैग उक्त गाड़ी में रह जाना बताया एव अपना एव अपने पति के कागजात प्रस्तुत करते हुए उपस्थित महिला ने अपना नाम सुनिता पत्नि श्री मागेलाल उम्र–26 वर्ष निवासी वार्ड न0–40 मेघवाल पंचायत भवन के पास राजगढ चूरू राज0 मोबाईल नम्बर 8094254763 एव उक्त कांगजात में मांगीलाल पुत्र श्री मगंलाराम उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर–40 मेघवाल पंचायत भवन के पास राजगढ चूरू राज0 मोबाईल नम्बर 8094254763 पूर्ण तस्दिक होने पर रूबरून गवाहन के समक्ष बैग को चैक करवाया गया तो उक्त बैग जिसमें पहनने के कपडे एक छोटा मोबाईल फोन मय चार्जर कुल समान की कीमत लगभग 5000/– रूपये होना बताया एव रूबरून गवाहन के समक्ष सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की।

6\. दिनांक 05.02.2025 को ऑन ड्यूटी कोच एटेण्डेन्ट मोहम्द हासिम द्वारा बीकानेर स्टेशन पर गाडी संख्या 22307 हावडा बीकानेर एक्सप्रेस पहुंचने पर एम 01 के कोच एटेण्डेन्ट मोहम्द हासिम को कोच के अन्दर एक रेडमी का मोबाईल मिला व उसके साथ एक चार्जर भी मिला जिसको लेकर रे.सु.ब. पोस्ट बीकानेर पर आया, बाद एक व्यक्ति रेसुब पोस्ट पर उपस्थित हुआ जिसने अपना नाम दीपक सुथार पताः–मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर मोबाईल न. 6375178505 बताया व बताया कि उक्त मोबाईल न. 9772614785 मेरे रिस्तेदार का है जो कुंभ मेले से आते समय गाडी में छुट गया था। मेरे रिश्तेदार का नाम गोपीलाल है एवम् उपरोक्त गाडी में प्रयागराज से बीकानेर आया था बीकानेर आने पर उतर कर चला गया और अपना मोबाईल गाडी में भूल गया जिस पर सउनि सतीश कुमार ने उपरोक्त रूबरू गवाहन मोबाईल व चार्जर के मालिक की पूर्ण तस्दीक कर जिस हालत में प्राप्त किया चैक करवाकर मालिक को ऑपरेशन अमानत के तहत सुपुर्द कर पावती हस्ताक्षर लिये। मालिक ने मोबाईल व चार्जर की अनुमानित कीमत 8500/–रूपये बताईं।

7\. दिनांक 06.02.2025 को श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन रोजनामचा डयुटी पर तैनात है0कानि0 बुधराम को प्लेटफार्म डयुटी पर तैनात है0कानि0 जगदीश द्वारा एक काले रंग का बैग जो सवारी गाडी संख्या 14816 में मिला, जिसे रेसुब थाने लाकर सूपूर्द्व किया, जिसके उपर वाले पर्स में खोलकर चैक किया तो उसमें बाईक के सैल लेटर पर मोबाईल नम्बर 7599629226 पर है0कानि0 बुधराम द्वारा कॉल करके पुछताछ करने पर अपना नाम पता नसीम पुत्र श्री जमीम, उम्र 38 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 1272, गली नम्बर 4 मायापुरी टिब्बी रोड बस्ती जोधवाल लुधियाना (पंजाब) बताया तथा बताया कि वह कपडे का काम करता हैं, दिनांक 05.02.2025 को वह रूडकी से पटियाला सवारी गाडी 14816 से आया, जल्दीबाजी में मेरा काले रंग का बैग साधारण कोच में छूट गया, जिसमें मूल आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाईक की आरसी, क्रेडिट कार्ड 3 ट्रेक सूट व 02 सूट नऐ हैं बाद बैग को खोलकर चैक किया तो उसमें उक्त सामान सही मिला बाद जिसने बताया कि वह श्रीगंगानगर सामान लेने के लिये आ रहा हैं। दिनांक 06.02.2025 को उप निरीक्षक डूंगर सिंह के रेसुब थाना हाजा के समक्ष एक व्यक्ति आया, जिसने अपना नाम पता उपरोक्त बताते हुए बताया कि सवारी गाडी संख्या 14816 के साधारण कोच में बैग छूट गया था, जिसमें उक्त सामान होना बताया। उक्त यात्री के साधारण टिकट एवं आधार कार्ड की तस्दीक कर सूपूर्द्व कर पावती ली गई, यात्री द्वारा उक्त सामान की कीमत 20,000/– रू बताई।

8\. दिनांक 07.02.2025 को रेलवे सुरक्षा बल चौकी रतनगढ से रेसुब पोस्ट बीकानेर पर सूचना प्राप्त हुई कि गाडी सं 14718 मे कोच संख्याएस–1 में सीट न. 42 के नीचे एक यात्री जिसका मोबाईल नम्बर 7568652598 का किताबों के बण्डल छूट गये है। उक्त सूचना ऑन डयूटी है0कॉन्स0 राजकुमार को अवगत कराया गया। जिसके द्वारा तलाश करने पर उक्त कोच में सीट के नीचे किताबों के बण्डल मिले जिन्हे पोस्ट पर लाया गया। बाद यात्री को उक्त मोबाइल पर सूचना दिया कि आपका सामान मिल गया जिसे

	आकर प्राप्त करे। चिरागदीन पुत्र श्री मिला खाँ उम्र 25 साल निवासी– बीजेरी बीकानेर राजस्थान, मन सउनि सतीश कुमार हाजिर थाना के समक्ष पेश हुआ व बताया कि मैं सहारनपूर से चूरु तक उक्त कोच में आया था पर सामान ज्यादा होने के कारण मेरे किताबों के बण्डल कोच में छुट गये व अपना टिकिट बताया जिसका पीएनआर न. 2329372741 है, उक्त किताबों के बण्डलों को सुपूर्द करने का निवेदन किया। बाद तस्दीक रूबरू गवाहान बरामदा बण्डालों को चैक करने पर उपरोक्त सामान सही सलामत मिला। बरामद सामान की कुल कीमत करीबन 5600/– रूपये बताई गई।
9.	दिनांक 08.02.2025 को उप निरीक्षक रीना को प्लेटफार्म गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन लालगढ के प्लेटफार्म नंबर 01 पर एक संविदा सफाई कर्मचारी ने बताया कि यह मोबाईल यहॉ पर पड़ा हुआ था। फोन को लेकर पोस्ट पर वापिस आये। कुछ समय बाद उक्त मोबाईल पर एक फोन आया। जिसके द्वारा बताया गया कि वह पैसेंजर गाड़ी से सूरतगढ से लालगढ़ आया था। बाद स्टेशन पर कुछ समय बैठे रहा जिस दौरान उसका मोबाईल फोन स्टेशन पर ही गिर गया। जिसको रेसुब पोस्ट लालगढ़ से फोन ले जाने हेतु कहा गया जो सूचना पर रेसुब पोस्ट लालगढ़ उपस्थित हुआ। जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पता प्रकाश पुत्र श्री बहादर सिंह, उम्र– 35 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 01 आशुखेडी जिला धार मध्यप्रदेश मोबाईल नंबर 8224901564 तथा यह भी बताया कि जब वह लालगढ़ में मजदूरी का काम करता है जब सूरतगढ़ स्टेशन से लालगढ़ स्टेशन आया था तो उसका रियम मी का मोबाईल कीमत लगभग 10000/– रूपये स्टेशन पर गिर गया था। उक्त मालिक का पता व मोबाईल की तस्दीक कर उप निरीक्षक रीना ने उपरोक्त रियलमी मोबाईल फोन सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।
10.	दिनांक 04.02.2025 को मण्डल सुरक्षा नियत्रण कक्ष बीकानेर से सूचना प्राप्त हुई कि सवारी गाड़ी सख्या 14702 के कोच नम्बर बी–01 की सीट नम्बर 01 पर एक यात्री का पावर बैक रह गया है उक्त सूचना पर रेसुब पोस्ट सादुलपुर से कांस्टेबल राजेश कुमार ने उक्त गाड़ी के आगमन पर उक्त कोच की उक्त सीट को चैक किया तो एक पावर बैक एव एक लिड लावारिस पड़ी हुई दिखाई दिया कोच में यात्रीयो से पुछने पर किसी ने अपना होना नही बताया एव बताया कि किसी यात्री का रह गया है बाद उक्त पावर बैक को रेसुब कार्यालय में जमा करवाया गया। दिनांक 08.02.2025 को सउनि रामकिशोर हाजिर कार्यालय के समक्ष एक व्यक्ति उपस्थित हुआ और अपना नाम व पता पवन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी गांव रामपुरा तहसील राजगढ जिला चुरू मोबाईल नम्बर 9119245402 ने अपने एव अपने दौस्त के कागजात प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिनांक 04.02.2025 को स्वंय का दौस्त श्री विजय सिंह जाट पुत्र श्री प्रभात जाट निवासी वार्ड नम्बर 09 बावडी सीकर राजस्थान जो सवारी गाड़ी सख्या 14702 मे सोमेसर से जयपुर तक कोच नम्बर बी–01 की सीट नम्बर 01 पर यात्रा कर रहा था इसी दौरान रेलवे स्टेशन जयपुर में जल्द बाजी में रेलवे स्टेशन जयपुर पर उतर गया और पावर बैक गाड़ी में रह गया था जिसके सम्बन्ध में रेल मदद कि गई तो रेल मदद से पता चला कि उक्त पावर बैक एव डाटा केबल को रेलवे स्टेशन सादुलपुर पर रेसुब कार्यालय में है।रूबरून गवाहन के समक्ष उक्त पावर बैक एव लिड को चैक करवाया तो उक्त व्यक्ति ने उक्त पावर बैक मय लिड की कीमत 4000(चार हजार रूप्ये) होना बताया तो रूबरून गवाहन के समक्ष सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की।
11.	दिनांक 08.02.2025 को मार्फत कन्ट्रोल रेसुब बीकानेर की सूचना पर, कि सवारी गाडी सं0 22421 के इंजन के पास वाले दुसरे सामान्य कोच में किसी यात्री का सिल्वर रंग का पिठु बैग छूट गया है, कि सूचना पर सउनि0 लक्ष्मण राम हमराह स्टाफ ने गाडी के रतनगढ रेलवे स्टेशन पीएफ न0 02 आगमन पर उक्त बैग को उतारकर कन्ट्रोल को सूचना दिया। जिस पर दिनांक 09.02.2025 को श्री निशान्त शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार उम्र–20 वर्ष निवासी गांव–रसूलपुर, जिला–महेन्द्रगढ हरि0 मो0 8278249770 ने चौकी हाजिर होकर उक्त बैग को पहचान कर स्वयं का होना बताया व दौराने दिल्ली सराय रोहिल्ला से महेन्द्रगढ की यात्रा के गाडी में भुलवशं छुट जाना बताया। बैग में 10 ग्रुप फोटो, एक मिठाई का डिब्बा व नमकीन, 400/– रूपये नगद, बच्चो व बडों के पुराने इस्तेमाली 9पडे कीमत करीबन 9000/– रूपये नो हजार मात्र होना बताया जिसे सउनि0 लक्ष्मण राम ने पुर्ण मालिकाना हक की तस्दीक कर रूबरू गवाहान के समक्ष मय सामान उक्त बैग कीमत 9000/– रूपये को उसके मालिक श्री निशान्त शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार पता उपरोक्त को सकुशल सुपुर्द कर पावती लिया गया।

12.	दिनांक 09–02–2025 को समय 09:15 बजे सउनि. लक्ष्मीनारायण हमराह स्टाफ का0 सुरेश कुमार गस्त करते हुये प्लेटफार्म नम्बर–01 पर बने एस्केलेटर के पास मुसाफिर खाने में पहुचे तो बैंच के पास एक ट्रोली बैग (ँलइंह) जिसका रंग स्लेटी लावारिस हालत में रखा हुआ मिला जिसके बारे में आस पास बैठे यात्रियों से पूछताछ किया तो किसी ने भी अपना होना नहीं बताया बाद उक्त ट्रोली बैग को सफाई कर्मचारी की मद्द से रेसुब पोस्ट बीकानेर पर लेकर आये। समय करिबन 14:00 बजे सउनि. लक्ष्मीनारायण हाजिर कार्यालय के समक्ष एक महिला साथ में एक लडकी रेसुब पोस्ट बीकानेर पर उपस्थित होकर बताया कि रात्री मे सवारी गाडी संख्या 19224 से बीकानेर से जोधपुर तक की यात्री के लिये रेलवे स्टेशन बीकानेर पर आये थे, सामान अधिक होने के कारण एक ट्रोली बैग बूलवंश बीकानेर स्टेशन पर ही छुट गया था, जब गाडी रेलवे स्टेशन जोधपूर पर पहुची तो महिला यात्री अन्जू देवी ने उतरते समय सामान चौक किया तो उनका एक ट्रोली बैग नही मिला जिसको तलास करने के लिये वह रेसुब पोस्ट बीकानेर पर अपनी बेटी के साथ आई और अपने ट्रोली बैग के बारे मे जानकारी चाही सउनि. ने ट्राली बैग व उसके अन्दर रखे सामान व नगदी के बारे मे मालिक का पूर्ण पता तस्दीक कर व ट्रोली बैग के अन्दर के सामान के बारे मे जानकारी ली उक्त ने ट्रोली बैग मे निम्न सामान होना बताया। बच्चो के नये कपडे 08 जोडी, नई साडी 02, 01 लैडिज पर्स जिसमे युनियन बैक का एटीएम कार्ड तथा लगभग 7000 रूपये। ट्रोली बैग को उपरोक्त महिला यात्री अन्जू देवी से खुलवाकर सामान को चौक करवाकर सही सलामत उपरोक्त सामान व नगदी मिलने पर सउनि0 लक्ष्मीनारायण द्वारा मालिक की पूर्ण तस्दीक कर सामान का मालिक श्रीमती अन्जू देवी पत्नी श्री रघुवीर निवासी चोपासनी हाउसिंग बार्ड जोधपुर राज0 मोबाईल नम्बर 8890574613 को रूबरू गवाहान के सही हालत सुपुर्द कर पावती लिया गया। महिला यात्री द्वारा अपने सामान की नगदी सहित कुल कीमत 26500 रूपये बताई गई।
13.	दिनांक 10.02.2025 को सउनि राजबीर सिंह हमराह कॉस्टेबल रतनलाल को गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन लालगढ के एरिया में फुटपाथ पर एक मोबाईल फोन मिला। फोन को लेकर पोस्ट पर वापिस आये। कुछ समय बाद उक्त मोबाईल पर एक फोन आया। जिसके द्वारा बताया गया कि वह अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिये आये थे और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर आकर बैठ गये। जब वह खाना खाने के लिये गये तो अपना मोबाईल फोन वहीं पर छोड़ आये। जिसको रेसुब पोस्ट लालगढ़ से फोन ले जाने हेतु कहा गया जो सूचना पर रेसुब पोस्ट लालगढ़ उपस्थित हुआ। जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पता सुनील राय पुत्र श्री जटरमन राय उम्र– 23 वर्ष निवासी गांव हेलापकड़ी पोस्ट पदमाती, जिला जलपाई गुड्डी पश्चिम बंगाल मोबाईल नंबर 8535898541 तथा यह भी बताया कि जब वह लालगढ़ स्टेशन के बाहर बैठा था तो उसका रियम मी का मोबाईल कीमत लगभग 12000/– रूपये स्टेशन पर गिर गया था। उक्त मालिक का पता व मोबाईल की तस्दीक कर मन सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह ने उपरोक्त रियलमी मोबाईल फोन सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।
14.	दिनांक 10.02.2025 को है0का0 ओमपाल हिसार से सूचना प्राप्त हुई कि सवारी गाड़ी सं 12556 के जनरल कौच में एक व्यक्ति का बैग छुट गया है। जिसपर सउनि रामकिशन ऑन डयूटी स्टाफ के साथ उक्त गाडी के भिवानी स्टेशन आगमन पर अटैण्ड किया गया जिसके जनरल कोच में सीट के नीचे एक काले रंग का बैग लावारिस हालात में मिला। जिसके सम्बंध में आस–पास मौजूद यात्रियों से पूछा किसी ने अपना नहीं होना बताये जाने पर उक्त बैग को उतारकर रेसुब पोस्ट भिवानी पर लाया गया। उक्त बैग के सम्बन्ध में हिसार पास्ट को अवगत करवाया गया। जिस पर दिनांक 11.02.2025 को एक व्यक्ति नाम पता अजय कुमार पुत्र श्री रोहताश उम्र–22 वर्ष निवासी–गॉव हरीपुरा जिला सिरसा हरि0 मो 9017375920 रेसुब पोस्ट भिवानी पर उपस्थित हुआ ओर बताया कि वह दिनांक 10.02.2025 सवारी गाड़ी सं. 12556 के जनरल कोच में सिरसा से हिसार तक की यात्रा कर रहा था। रेलवे स्टेशन हिसार पर उतरते समय सामान ज्यादा होना कारण वह उसके बैग को गाडी में भूल गया उसका सामान मिलने की सूचना पर वह दिनांक 11.02.2025 को रेसुब पोस्ट भिवानी पर उपस्थित हुआ है, जिसपर ऑन डयूटी सउनि. रामकिशन द्वारा उपरोक्त बरामद बैग व व्यक्ति की तस्दीक की गई यात्री द्वारा बतायेनुसार सामान को चैक करवाने पर उसमें 5000/– रुपये नगद ,दवाईयां, 01 कॉपी, 01 USB कैबल, 01 ओपो कम्पनी मोबाईल फोन, 01 ओपो कम्पनी का चार्जर एवं पुराने इस्तेमाली कपडे सही सलामत होना पाया गया बाद आवश्यक तस्दीक कर उक्त बैग बारंग काला को सही सलामत चैक करवाकर सुपूर्द कर पावती ली गई, उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त

	सामान की कुल कीमत 18000/—रूपये बताई गई।
15.	दिनांक 12.02.2025 को श्रीगंगानगर रेलवे स्टशन प्लेटफार्म डयुटी पर तैनात कानि0 मनमोहन सिंह को सवारी गाडी संख्या 14728 के रेलवे स्टेशन श्रीगंगानगर आगमन पर गाडी को चैक करने पर साधारण कोच में एक मोबाईल लावारिस हालत में मिला, जिसे उक्त कास्टेबल द्वारा रेसुब थाने लाकर ऑन डयूटी रोजनामचा कानि. नवीन कुमार को सूपूर्द किया, कुछ समय बाद उक्त मोबाईल पर कॉल आया तो अटैण्ड किया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम गयान्नेद्र कुमार पुत्र श्री शंकर लाल निवासी वार्ड नम्बर 03 हिरणावाली जिला हनुमानगढ बताते हुये बताया कि वह दिनांक 12.02.25 को हनुमनगढ से श्रीगंगानगर तक की टिकट नम्बर एडीबी 54038166 के अनुसार गाडी संख्या 14728 मे यात्रा कर श्रीगंगानगर तक आया जो अपना मोबाईल वीवो वाई—20 कम्पनी का उक्त गाडी मे ही भुल गया। जिसे रेसुब पोस्ट श्रीगंगानगर कार्यालय पर आने बावत बताया। उनि डूंगर सिंह हाजिर कार्यालय एक व्यक्ति गयानेन्द्र कुमार रेसुब पोस्ट पर आया व बताया कि वह अपना मोबाईल लेने आया है। पूर्ण तस्दीक कर मोबाईल सूपूर्द कर पावती ली उक्त व्यक्ति ने अपने मोबाईल की कीमत 20,000/— रू बताई।
16.	दिनांक 15.02.2025 को एक व्यक्ति रेसुब पोस्ट सादुलपुर पर पेश होकर अपना नाम पता जतिन कुमार सैन पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र—24 वर्ष निवासी दमामीयो की ढाणी वार्ड न0—11 राजगढ चूरू मो0न0—9694705151 बताया और अपना नाम आधार कार्ड रेल यात्रा टिकट रतनगढ—सादुलपुर तक यात्रा कर रहा था जब सवारी गाडी 22422 सादुलपुर स्टेशन पर पहुची तो हम सादुलपुर स्टेशन पर उतर गये और हमारा बैग ट्रेन में रह गया बाद उक्त की सूचना मेरे द्वारा सादुलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाना में दी। उक्त ट्रेन को ऑन डयुटी रेसुब स्टाफ लोहारू कास्टे0 पवन कुमार को दी बाद बैग उक्त ट्रेन में मिलने बैग को वापस सादुलपुर पोस्ट पर मगवाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 15.02.2025 को मय दस्तावेज के थाना में उपस्थित होकर उक्त बैग अपना होना बताया । उक्त बैग को खोलकर सामान चैंक करवाया तो यात्री ने अपना पहनने की साडीया बर्तन होना बताया यात्री के बताये अनुसार सामान की कीमत लगभग 10000/— दस हजार होना बताया बाद रूबरून गवाहन के समक्ष सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की तो उक्त व्यक्ति ने रेसुब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया।
17.	दिनांक 16.02.2025 को जरिये ऑन डयुटी कास्टे0 अमीत कुमार तैनाती रेसुब आउट पोस्ट महेन्द्रगढ से उनि पूनम सैनी लोहारू को सुचना मिली कि एक यात्री जिसका नाम कन्नुप्रीया पुत्री श्री अमित मान निवासी शर्मा कॉलोनी रानी बाजार बीकानेर है गाडी न0—22472 के पिछे के एस 03 कोच की सिट न0—47 पर एक निले रंग का व एक आसमानी रंग का व एक सफेद रंग का बैग छुट गया है सुचना पर हैड कास्टे लोहारू ब्रमप्रकाश द्वारा गाडी के उक्त कोच को चैक करने पर उक्त बैग मिले बाद उक्त कि सुचना यात्री को दी गई बाद यात्री कन्नुप्रीया मय यात्र टिकट के उनि. पूनम सैनी के समक्ष पेश होकर बताया कि मेरे को बीकानेर जाना था महेन्द्रगढ रेलवे स्टेशन पर खाने का सामान लेने ट्रेन से निचे उतरी थी उसी दौरान गाडी रवाना हो गई और बैग गाडी में ही छुट गये थे।बैग अपने होने के बारे में बताने पर बैग को रूबरू गवाहन के समक्ष खुलवाकर चैक करवाने पर उक्त तिनो बैगो से सैडल,स्टील के डब्बे,कोसमेटीक समान,घडी,पुराने कपडे,चार्जर,एयरबेन्ड इत्यादी सामान पुर्ण होना बताया यात्री के बताये अनुसार सामान की कीमत लगभग 7000/— होना बताया बाद रूबरून गवाहन के समक्ष सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की ।

18.	दिनांक 16.02.2025 को है0का0 राजेश कुमार रेसुब. चौकी चूरू को प्लेटफॉर्म डयूटी के दौरान चूरू रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म न0 01 पर एक कार्टून व प्लास्टिक थैला पडा मिला जिसके बारे में यात्रियो से पूछताछ करने पर उन्होने अपना नही होना बताया। जिसकी सूचना उक्त है0का0 द्वारा उप निरीक्षक नन्दकिशोर को दिया गया और आदेशानुसार उक्त सामान को रेसुब. चौकी चूरू लेकर आया खोलकर देखा तो कार्टून में स्टील के रेलिंग पाईप और प्लास्टिक थैले में विधुत का सामान मिला। बाद एक व्यक्ति उनि0 हाजिर कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना नाम नितिन रघवानी पुत्र श्री परमानन्द रघवानी उम्र 30 वर्ष निवासी बी–77 अग्रसेन नगर चूरू जिला चूरू राज0 होना बताया तथा बताया कि उसका पिताजी अपने परिवार के साथ जो गाड़ी संख्या 22472 (दिल्ली सराय रोहिला– बीकानेर एक्सप्रेस) में चूरू से बीकानेर साधारण डिब्बे में यात्रा कर रहा है सामान अधिक होने के कारण भूल से एक कार्टून व थैला चूरू स्टेशन के प्लेटफार्म पर रह गया। पेश हुए व्यक्ति द्वारा अपना आधार कार्ड व रेल यात्रा टिकट की प्रतिलिपि पेश किया बाद यात्री के बताये गये मोबाईल न0 9460333783 पर सम्पर्क करने पर उसने अपना नाम पता श्री परमानन्द रघवानी पुत्र श्री वरन्द मल उम्र 66 वर्ष निवासी बी–77 अग्रसेन नगर चूरू जिला चूरू राज0 होना बताया व रेलवे स्टेशन चूरू में सामान छुटने के बारे में अपने पुत्र नितिन रघवानी के मोबाईल न0 9414084083 पर फोन कर बताया तथा अपने पुत्र को उक्त सामान सुपूर्द करना बताया जिसमे कार्टून में स्टील के रेलिंग पाईप और प्लास्टिक थैले में विधुत का सामान का पहचान किया जिस पर सामान को रूबरू गवाहान चैक करने पर सामान सही होना बताया। उक्त सामान की अनुमानित कीमत लगभग 15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) होना बताया। उक्त सामान को रूबरू गवाहान के समक्ष यात्री के पुत्र को सुपूर्द कर पावती प्राप्त की गई।
19.	दिनॉक 17.02.2025 को टी.ओ.पी.बी. टीम प्रभारी सउनि रामकिशन धवन मय टीम सदस्यों को रेलवे स्टेशन हिसार पर गस्त/चैकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नं. 01 पर बुकिंग हॉल के सामने एक मोबाइल (विवो कम्पनी) फोन लावारिश हालत मे पड़ा दिखायी दिया। मौके पर मौजूद रेल यात्रियों, आने–जाने वालों से मोबाइल बाबत पूछताछ की तो किसी ने भी अपना होना नहीं बताया। मोबाइल के सम्बन्ध में बुकिंग कार्यालय, हिसार से उद्घोषणा करवाई गई, लेकिन कोई भी यात्री मोबाइल लेने नहीं आया जिस पर मोबाइल को रेसुब पोस्ट हिसार पर लाया गया इसी दौरान उक्त फोन पर एक कॉल आई जिसने अपना परिचय रामदास पुत्र श्री हरनारायण, निवासी– गॉव उरेर माऊ सुलतानपुर उत्तर प्रदेश के रूप मे देते हुए बताया कि यह फोन उसका है तथा दिनांक 17.02.2025 को खाटु श्याम से हिसार की यात्रा के दौरान उसका मोबाइल फोन हिसार स्टेशन पर भूल जाना बताया।एक व्यक्ति रेसुसब पोस्ट हिसार कार्यालय मे उपस्थित हुआ और अपना नाम व पता श्री साहिल पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी– गॉव सुलखनी, पोस्ट बुगाना तह. बरवाला जिला हिसार (हरि0) मोबाईल नं. 9896571191 बताकर छुटा हुआ मोबाइल लेने के लिए आना बताया। जिस पर पेश हुए व्यक्ति से पूर्णतया तसदीक कर सही पाऐ जाने पर सही हालत में रूबरू गवाहान के समक्ष उक्त मोबाइल श्री साहिल को चैक करवाकर सही अवस्था में जरिये सुपुर्दगीनामा रुबरु गवाहन के समक्ष सुपुर्द कर फोटोग्राफी की। मोबाइल की वर्तमान कीमत 15000/–रुपये आंकी गई है।
20.	दिनांक 21.02.2025 को मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर से सउनि. शीशराम लोहारू को सुचना मिली कि एक पुरूष यात्री जिसका नाम खुशवन्त सिंह सवारी गाडी 22481 में जोघपुर से सादुलपुर की यात्रा एस.–04 में कर रहा था जो सादुलपुर उतर गया और जल्दबाजी में उक्त का सामान एस.–04 कोच की सिट न0–71 के निचे रह गया उक्त सुचना पर ऑन डयुटी कास्टे0 अब्दुल वासीद द्वारा गाडी लोहारू स्टेशन पर पहुचने पर उक्त कोच को चैंक करने पर 02 नग कार्टुन मिले जिसके बारे में यात्रीयो से पुछने पर किसी ने अपना नही होना बताया । दोनो कार्टुनो को उतार कर आउट पोस्ट लोहारू पर सुरक्षीत रखा गया व उक्त की सुचना यात्री को दी गई । सउनि शिशराम के समक्ष एक व्यक्ति नाम खुशवन्त गॉव पोस्ट नीमा तह0 राजगढ चूरू होना बताया और दोनो कार्टुन अपने होने के बारे में बताया और अनुमानित कीमत 5000/–पॉच हजार होना बताया। पुर्ण तहरियर होने पर उक्त दोनो कार्टुन रूबरू गवाहन के समक्ष देकर पावती प्राप्त की गई।

21.	दिनांक 22.02.2025 को सउनि महेन्द्र सिंह रेसुब पोस्ट लालगढ के समक्ष एक व्यक्ति जुगल किशोर पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र– 63 वर्ष निवासी मं.न.48 रजत टाउनशिप के पास बजाज नगर जोधपुर हाल सिनेमा रोड़ फलौदी जिला जोधपुर पोस्ट हाजा पर पेश हुआ और बताया कि वह अपने परिवार के साथ दिनांक 20.02.2025 को हम फलौदी से लालगढ़ आये थे और प्लेटफार्म नंबर 01 पर गाडी संख्या 14888 में पीएनआर नंबर 2430362627 से हरिद्वार जाना था। जब गाडी आई तो हम जल्दबाजी में अपना एक भूरे रंग का बैग प्लेटफार्म पर भूल गये और गाडी में चढ गये। जिसकी सूचना हमारे द्वारा 139 पर दी गई। जिस पर हमें सूचित गया कि आपका बैग रेलवे स्टेशन लालगढ पर आरपीएफ थाने में सुरक्षित रखा है आप आओ तब ले जाना। जिस पर आज हम हरिद्वार से वापिस आये है। पेश हुये व्यक्ति के समक्ष बैग को खुलावकर चैक करने पर बैग में रखे पुराने व नये कपडे व एक सोने की बाली मिली। जिसकी कीमत यात्री द्वारा 9000 रूपये होना बताया। यात्री द्वारा बैग व बैग में रखे सामान की पहचान करने पर बैग व सामान को मन सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने उपरोक्त गवाह के समक्ष ‘‘ऑपरेशन अमानत‘‘ के तहत सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।
22.	दिनांक 22.02.25 को उप निरीक्षक अजय लाम्बा व सहायक उप निरीक्षक यशवंत सिंह कार्यालय हाजिर के समक्ष मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर से सूचना मिली की गाड़ी संख्या 19225 के कोच नंबर S/9 सीट नंबर 1 पर बैठे यात्री का सामान रह गया है जिसकी सूचना पाकर उप निरीक्षक के द्वारा प्लेटफॉर्म 01 को चेक किया तो सामान मिला जिसकी फोटोग्राफी कर मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर को भेजी। कुछ समय बाद एक यात्री आया जिसने बताया की मे गाड़ी संख्या 19225 में PNR 2230507399 पर सूरतगढ़ से पठानकोट तक कोच नंबर S/9 में सीट नंबर 01 पर यात्रा कर रह था। सामान ज्यादा होने के कारण गलती से मेरा सामान प्लेटफॉर्म पर रह गया बाद मन उप निरीक्षक ने नाम पता पूछा तो अपना नाम निशांत शर्मा पुत्र श्री राजकुमार उम्र 25 वर्ष पता गाँव सहारंगपुर तहसील खुर्जा जिला बुलंदसहर उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर 8439123709 बताया बाद सामान के बारे में पूछताछ की तो एक खाकी रंग का बैग जिसमे आर्मी ड्रेस, सेविंग कीट, स्लीपिंग बैग व एक नई ब्लंकेट व एक नीला रंग का पिट्ठू बैग जिसमे पुराने कपड़े मिले जिसको खोल कर चौक करवाया गया तो सामान पूरा होना बताया बाद यात्रा की टिकट की छायाप्रती व स्वय के आधार कार्ड की छायाप्रती पेश की जिसे उनि ने रूबरू गवाहनों के समक्ष यात्री निशांत शर्मा को खाकी रंग का बैग सुपुर्द किया। सामान की अनुमानित कीमत 6000/ रू आंकी गई।
23.	दिनांक 22.02.2025 को उनि रीना हमराह है.कॉ चरणजीत के साथ गाडी स. 54701 के लालगढ स्टेशन प्लेटफार्म न. 02 पर आगमन के समय चैकिंग के दौरान सामान्य कोच सं 084223 में एक काले रंग का बैग लावरिस हालात में मिला, जिसे कोच से नीचे उतार कर प्लेटफार्म पर खडे आसपास के यात्रियों से पूछताछ किया किसी भी यात्री ने उक्त बैग अपना नहीं होना बताया बाद उक्त बैग को चैक किया गया तो उसमें 01 नई साडी, 03 जोडी बच्चो के नये कपडे तथा 02 जोडी पुराने व 03 जोडी पुरूष के नये कपडों पाये गये। जिसे लेकर पोस्ट कार्यालय आया। पोस्ट कार्यालय पर एक बाहरी व्यक्ति पेश हुआ तथा अपना नाम अमित कुमार पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी–जस्सूसर गेट के बाहर मुक्ताप्रसाद बीकानेर बताया और बताया कि बठिण्डा लालगढ पैसेन्जर में टिकट न. ADB68855063 पर हनुमानगढ से लालगढ अपने परिवार के साथ आया था। हमारे पास कई बैग थे लालगढ स्टेशन पर परिवार के साथ बच्चो को उतारते वक्त हमारा एक काले रंग का नया बैग जिसमें कुछ पुराने व कुछ नये कपडो से भरा गाडी के कोच में ही छूट गया। पोस्ट कार्यालय पर रखे उक्त बैग की तश्दीक करवाई गई, तो उक्त बैग को अपना होना बताने पर बैग में रखे सामान को चैक कर सारा सामान पूरा व सही हालात में होना बताकर उक्त बैग में रखे कपडो की अनुमानित कीमत 8500/ रूपये के होना बताया। बाद उक्त बैग को रूबरू गवाहन के समक्ष जरिये सुपुदर्गीनामा कर यात्री को सुपुर्द किया गया।

24.	दिनांक 17.02.2025 को जरिए स.उ.नि. रामकिशोर / सादुलपुर के मन सउनि शीशराम मीणा रेसुब आउट पोस्ट लोहारू को सूचना मिली की एक यात्री जिसका नाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभुराम, निवासी गांव बढाल खेता, गुलपुरा जिला चुरू, राजस्थान–331023 मोबा. 9622293673 है। गाडी नम्बर 22422 के एस 1 कोच की सीट न. 1 के नीचे एक स्लेटी रंग का बैग छूट गया है, सूचना पर है.कां. रमेश गहलावत ने गाड़ी के लोहारू स्टेशन आगमन पर वैग की तलाश किया तो उक्त बताये अनुसार बैग मिल गया। जिसकी सूचना स.उ.नि. रामकिशोर / सादुलपुर पोस्ट के जरिये उक्त यात्री को दी गई, जिस पर आज दिनांक 23.02.2025 को उक्त यात्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभुरान, निवासी गांव ढंढाल खेता, गुलपुरा जिला चुरू, राजस्थान ने मन उनि पूनम सैनी रेसुब लोहारू चौकी कार्यालय के समक्ष पेश होकर बताया कि में दिनांक 17.02.25 को उक्त गाड़ी में चुरू से सादुलपुर तक आया आथ जल्दीबाजी के कारण मेरा एसा बैग गाडी में ही छूट गया। जिसकी सूचना मैंने आरपीएफ सादुलपुर को दिया तथा बैग को लोहार रुपर आर.पी.एफ. द्वारा उतारने की सूचना प्राप्त किया तथा आज दिनाक 23.02.2025 को आपके समक्ष हुआ हूँ। इस पर बैग को रुबराह गवाहान के समक्ष चौक किया गया तो बैगों में 01 एक बैंग स्लेटी रंग का कीमत 1500रू, इंनर की जोड़ी कीमत 1000रू, एक ट्रेक शूट कीमत 2000रू, एक जोडी पेन्ट शर्ट कीमत लगभग 2000रू, एक हॉफ स्लीव जैकेट कीमत 4000रू, एक मोवाइल चार्जर कीमत 300 रूदस्तावेज आर्मी का पहचान पत्र, आधार कार्ड, केडिट कार्ड, 02 एटीएम व पैन कार्ड आदि सामान मिला। यात्री ने बैग व कपडों सहित सामान की कुल कीमत करीब 10800 रुपये होना बताया नाम व पता तसल्ली होने पर सही हालत में उक्त बैग उक्त सामान सहित रुबरुह गवाहान के समक्ष उका यात्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभुराम, निवासी गांव बंदाल खेता, गुलपुरा जिला चुरू, राजरथान को सुपुर्द किया गया।
25.	दिनांक 18.02.2025 को सवारी गाडी संख्या 22981 में कार्यरत टीटीआई श्री रमेश कुमार हैड क्वाटर श्रीगंगानगर को उक्त गाडी के कोच नम्बर एम–01 की सीट नम्बर 11 पर कोच चैकिंग के दौरान एक अंगुठी मिली। जिसको दिनांक 18.02.2025 को रेलवे सुरक्षा बल थाना श्रीगंगानगर लाकर सउनि तेजसिंह मीणा को जमा करवाया। उक्त अंगुठी की रेल यात्री पीयुष गुप्ता द्वारा रेल मदद 139 पर भी शिकायत दर्ज करवाई। जिसकी सुचना कंट्रोल बीकानेर के माध्यम से पोस्ट श्रीगंगानगर पर प्राप्त हुई। सउनि तेजसिंह मीणा द्वारा कंट्रोल बीकानेर से यात्री पीयुष गुप्ता के मोबाईल नम्बर 75300–00395 प्राप्त कर यात्री से सम्पर्क किया उक्त अंगुठी के बारे में बताया तो उसने बताया कि मैं सवाईमाधोपुर से बीकानेर के लिए यात्रा कर रहा था। यात्रा समाप्त कर जल्दबाजी मे बीकानेर ही उतर गया तथा अपनी सोने की अंगुठी जो मेरे को मेरी सगाई में मिली थी वही सीट पर भुल गया तथा बताया कि दिनांक 24.02.2025 को आकर ले जाउंगा। दिनांक 24.02.2025 को यात्री पीयुष गुप्ता पुत्र श्री औमप्रकाष गुप्ता उम्र 25 वर्ष जाति गुप्ता निवासी मकान न0 बी–13 केषवनगर सवाईमाधोपुर (राज0) रेसुब थाना कार्यलय श्रीगंगानगर आया तथा उक्त सोने की अंगुठी लेने आना बताया। उक्त यात्री के पीएनआर न0 8729166257 के टिकट तथा आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त की। उक्त यात्री को सोने की अंगुठी रूवरू गवाहन सउनि तेजसिंह मीणा द्वारा चेक करवाया तो उसने चेक कर अपनी होना बताया। पूर्ण तस्दीक कर सोने की अंगुठी सूपूर्द्व कर पावती ली गई। उक्त व्यक्ति ने अपनी सोने की अंगुठी का वजन 05.940 ग्राम तथा कीमत लगभग 50000/–रू बताई।
26.	दिनांक 26.02.2025 को सउनि राजबीर सिंह को गस्त के दौरान रेसुब पोस्ट लालगढ के प्लेट फार्म नं. 1 पर चार्जिग पोईन्ट मे रियलमी कम्पनी का एक मोबाईल चार्ज लगा हुआ मिला तथा कुछ समय बाद मोबाईल पर फोन आने पर सम्पर्क करने पर एक व्यक्ति कार्यालय उपस्थित हुआ तथा उसने अपना नाम विक्रम पुत्र श्री राहिताश, उम्र– 35 वर्ष निवासी गांव सुन्दरवास जिला अलवर राजस्थान बताया तथा यह भी बताया कि वह अपने परिवार के साथ काम करने के लिए रेवाडी से लालगढ़ आये थे और प्लेटफार्म नंबर 01 पर मोबाईल चार्ज लगाया था तथा जब स्टेशन से बाहर गये तो हम जल्दबाजी में अपना मोबाईल प्लेटफार्म पर भूल गये। जिसकी कीमत यात्री द्वारा 10000 रूपये होना बताया। उक्त यात्री द्वारा मोबाईल की पहचान करने पर मोबाईल को मन सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह ने रूबरू गवाह के समक्ष ''ऑपरेशन अमानत'' के तहत सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।

27.	दिनांक 26.02.2025 को सउनि राजबीर सिंह को गस्त के दौरान रेसुब पोस्ट लालगढ के प्लेट फार्म नं. 1 पर चार्जिग पोईन्ट मे आइक्यू कम्पनी का एक मोबाईल चार्ज लगा हुआ मिला तथा कुछ समय बाद मोबाईल पर फोन आने पर स्म्पर्क करने पर एक व्यक्ति कार्यालय उपस्थित हुआ तथा उसने अपना नाम हेमन्त पुत्र श्री नत्थुराम, उम्र– 21 वर्ष निवासी गांव नेहरूगढ जिला रेवाडी हरियाणा बताया तथा यह भी बताया कि वह काम करने के लिए लालगढ़ आये थे और प्लेटफार्म नंबर 01 पर मोबाईल चार्ज लगाया था तथा जब वह स्टेशन से बाहर गया तब जल्दबाजी में अपना मोबाईल प्लेटफार्म पर भूल गया। जिसकी कीमत यात्री द्वारा 19000 रूपये होना बताया। उक्त यात्री द्वारा मोबाईल की पहचान करने पर मोबाईल को मन सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह ने रूबरू गवाह के समक्ष ''ऑपरेशन अमानत'' के तहत सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।
28.	दिनांक 28.02.2025 को हिसार पोस्ट से सूचना प्राप्त हुई कि गाडी संख्या 12555 गोरखधाम सु0फा0 में एक यात्री नाम विकास पुत्र श्री नरेश मोबाईल नं. 9991844777 जो कि भिवानी से हिसार तक की यात्रा कर रहे थे, हिसार उतरते समय जल्दबाजी में अपना बैग गाडी गार्ड से चौथा जनरल कोच में भूल गया है जो काले रंग का है। उक्त सूचना पर उनि मनोहर लाल हमराह ऑन डयूटी स्टाफ म0 कांस्टेबल रितु शर्मा/रेसुब/सिरसा द्वारा उक्त गाड़ी के रेलवे स्टेशन सिरसा आगमन पर उक्त बताए अनुसार कोच में चैक किया तो एक काले रंग का बैग जिसमें पुराने कपडे व मोबाईल चार्जर व कागजात मिले । उक्त कोच में बैठे यात्रियों से थैले के बारे में पूछने पर किसी ने अपना होना नहीं बताया। यात्री के मोबाईल नम्बर 9991844777 पर सम्पर्क कर बैग से संबंधित तफतीश करने पर बैग उसी का होना पाया गया जिसकी अनुमानित कीमत 5000/–रू0 बताई। दिनांक 28. 02.2025 को नाम विकास पुत्र श्री नरेश उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड न0–11 कंगनपुर, जिला सिरसा कार्यालय आया , जिसके बताए अनुसार उक्त सामान का मिलान करने पर सही होना पाए जाने पर जिस हालत में मिला था उसी हालत में उक्त सामान को उनि मनोहर लाल व ऑन डयूटी स्टाफ म0 कांस्टेबल रितु शर्मा/रेसुब/सिरसा द्वारा सुपूर्द किया गया।
29.	दिनांक 03–02–25 को श्रीगंगानगर के प्लेटफार्म ड्यूटी पर कार्यरत कांस्टे० प्रवीन कुमार और कांस्टे० रामलखन को गाड़ी संख्या 12455 के श्रीगंगानगर प्लेटफार्म नंबर 01 पर आगमन के दौरान एक नेत्रहीन व्यक्ति जो छड़ी की सहायता से प्लेटफार्म और रेलगाड़ी के साथ चलकर आता दिखाई दिया जिस पर उक्त दोनों स्टाफ ने तत्काल प्रभाव से कर्तव्य को अंजाम देते हुए उक्त व्यक्ति को अटेंड किया और स्टाफ ने अपना परिचय दिया जिस पर उक्त दृष्टिहीन व्यक्ति ने बताया कि मै नेत्रहीन हूं छड़ी के सहारे से ही चलता –फिरता हूं तभी दोनों स्टाफ द्वारा उक्त व्यक्ति को पकड़कर सहारा देते हुए गाड़ी संख्या 12455 के कोच नं. एस–05 में सकुशल बिठाया उक्त यात्री ने अपना नाम जितेन्द्र शर्मा अध्यापक श्री करनपुर बताते हुए श्रीगंगानगर से श्री करनपुर तक की साधारण श्रेणी की टिकट नम्बर 69908073 पर यात्रा करना बताया उक्त व्यक्ति ने समय पर रेसुब० स्टाफ श्रीगंगानगर द्वारा दी गई सहायता और सहयोग के लिए उक्त स्टाफ का शुक्रिया अदा किया गाड़ी में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों ने भी स्टाफ का आभार व्यक्त किया।
30.	दिनांक 04.02.25 को 00.00 से 08.00 बजे की पारी में श्रीगंगानगर यार्ड और प्लेटफार्म गस्त पर डयूटीरत है0कां0 प्रवीन कुमार व है0कं0 जगदीष प्रसाद को पीएफ नम्बर 03 पर समय लगभग 01.28 बजे गाडी संख्या 04706 के आगमन पर एक महिला यात्री ममता पत्नी श्री राम अवतार शर्मा मिली, जिसने बताया कि मै व मेरी मां उक्त गाडी मे पीएनआन नम्बर 265–7675742 स्लीपर–01 की सीट नम्बर 26 व 31 पर सीकर से यात्रा करते हुये श्रीगंगानगर आये है व मेरी माताजी श्रीमति महोदवी पत्नी श्री गंगाराम उम्र 84 साल निवाी वार्ड नम्बर 2 गली नम्बर 01 बंसती चौंक श्रीगंगानगर की उम्र लगभग 84 साल है जो कमर दर्ज से पीडीत है जो चलने मे असमर्थ है जिनको कम दिखाई देता है सीडीयों से प्लेटफार्म नम्बर 01 पर नही जा सकती है बताये जाने पर उक्त दोनो स्टाफ द्वारा तत्काल प्रभाव से आपरेशन सेवा के तहत कर्तव्य को अजांम देते हुये स्टाफ द्वारा स्टेषन अधीक्षक कार्यालय से व्हील चेयर आये व वृद्व महिला को बिठाकार व्हील चेयर को चलाकर प्लेटफार्म संख्या 03 से प्लेटफार्म संख्या 01 के एक्जिट गेट तक सकुशल पहुचाया।

31.	दिनांक 06.02.2025 को उ.नि. सुशील कुमार मय जीआरपी स्टॉफ एवं स.उ.नि. सुरेन्द्र कुमार, है.कॉ. रामेश्वर, कॉ. मनजीत व कॉ. प्रदीप कुमार रे.सु.ब. टीओपीबी टीम, हिसार ने अवैध हथियार, विस्फोटक, शराब व नकदी के परिवहन की रोकथाम एवं धरपकड़ चैकिंग अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन हॉसी के प्लेटफॉर्म नं. 01 पर स्टील बैंच के नीचे एक कट्टा प्लास्टिक लावारिश हालत में रखा मिला। जिसके बारे में आने–जाने वाले यात्रियों से पूछने पर किसी ने भी अपना होना नहीं बताया। बाद लावारिश कट्टा प्लास्टिक को चैक किया तो उसके अंदर से एक गत्ता पेटी मिली, जिसके अंदर कुल 50 नग पव्वे देशी शराब मार्का मस्ती माल्टा बरामद हुए। बाद उनमें से 01 नग पव्वा अलग से निकालकर 49 नग पव्वे को उसी गत्ता पेटी में एवं गत्ता पेटी को कट्टा प्लास्टिक में डालकर पलन्दा तैयार किया तथा 01 नग पव्वा को बतौर वजह सबूत जब्त कर FIR No. 0014/2025 U/S 61 The Punjab Excise Act, 1914 (Haryana Amendment Bill, 2020) सरकार बनाम अज्ञात दर्ज कर बरामद शराब की कीमत 5000/– आंकी गई है तथा मामले की जांच उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, रा.रे.पु. चौकी हॉसी थाना हिसार द्वारा की जा रही है।
32.	दिनांक 10.02.2025 श्रीमान मण्डल सुरक्षा आयुक्त एवं सहायक सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर महोदय के निर्देशन में गठीत रेसुब यात्री विषयक अपराध रोकथाम टीम मन सउनि श्रीनिवास, कां0 अनिल कुमार व कां0 पवन कुमार दिनांक 10.02.2025 को गाडी सं0 15909 के स्लीपर कोच मे अंदर सोये हुये यात्रियो के मोबाईल चोरी करते हुये को पकड़ा तथा पूछने पर कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया। नाम व पता पूछने पर अपना नाम रोहतास पुत्र श्री रामरख, उम्र 35 साल, निवासी लखाना पोस्ट ऑफिस मौजगढ तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा बताया। आरोपी के पास 02 मोबाईल फोन मिले। पूछने पर चोरी करना स्वीकार किया। बाद उक्त बाहरी व्यक्ति व चोरित मोबाईल के साथ जीआरपी थाना हनुमानगढ़ को सुपुर्द किया। उक्त बाहरी व्यक्ति के खिलाफ इस्तगासा स. 05/2025 अंतर्गत धारा 170(1) ,126(1) बीएनएसएस दिनांक 10.02.2025 दर्ज की गई।
33.	दिनांक 21.02.2025 को श्रीमान ज्योति कुमार सतीजा प्र0मु0सु0आयुक्त उपरे–जयपुर महोद्य एवम् श्रीमान संजय पीसे मण्डल सुरक्षा आयुक्त रेसुब बीकानेर व श्री एलआर मीणा सहा0सु0 आयुक्त बीकानेर के निर्देशन में गठित रेसुब यात्री विषयक अपराध रोकथाम टीम सउनि श्रीनिवास कां0 अनिल कुमार, कां0 पवन कुमार कां0 मांगेराम द्वारा बीकानेर रेलवे स्टेशन पर गस्त के दौरान 01 व्यक्ति नाम पता पुछने पर करन पुत्र श्री महावीर उम्र–25 वर्ष निवासी सिंगरा अहमदगढ थाना झिजाना, जिला शामली (उत्तर प्रदेश) को यात्रियो के गाडी में चढते समय जेब टटोलते हुऐ को पकड कर राजकीय रेलवे पुलिस बीकानेर को सुपुर्द किया जिस पर रा0रे0पु0 बीकानेर द्वारा इस्तगासा नं0 02/2025 बीएनएसएस की धारा 126(1),135(3),170(1), दिनांक 21.02.2025 सरकार बनाम करन पुत्र श्री महावीर पता उपरोक्त दर्ज किया।
34.	दिनांक 26.02.2025 को रेसुब यात्री विषयक अपराध रोकथाम टीम सउनि श्रीनिवास कां० अनिल कुमार, कां० पवन कुमार कां० मांगेराम द्वारा हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर गस्त के दौरान 01 व्यक्ति नाम पता पुछने पर जगदीप सिंह उर्फ करण पुत्र श्री हरचरण सिंह, उम्र–19, वर्ष निवासी वार्ड नंबर 20, सेक्टर नंबर 12 मक्कासर फाटक के पास पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को गाडी 14728 से मोबाइल चोरी कर भागते हुए को समय 04.32 बजे पकड कर राजकीय रेलवे पुलिस हनुमानगढ़ को समय 09.00 बजे HC Moti lal / GRP/HMH को सुपुर्द किया तथा यात्री द्वारा परिवाद नहीं देने पर रा०रे०पु० हनुमानगढ़ द्वारा इस्तगासा नं0 08/2025 बीएनएसएस की धारा 126 (1), 170 (1), दिनांक 26.02.2025 सरकार बनाम जगदीप सिंह उर्फ करन पुत्र श्री हरचरण सिंह पता उपरोक्त दर्ज किया गया है।

4. **आई.एस.एस. एवं सी.सी.टी.वी के माध्यम से पकड़े गये अपराधिक मामले एवं किये गये सराहनीय कार्यः**–उक्त अवधि के दौरान आई.एस.एस. व सी.सी.टी.वी के माध्यम से रेल अधिनियम के तहत **05 मामले** रेलवे एक्ट की धारा **159 के तहत** बीकानेर पोस्ट द्वारा दर्ज किये गये है रेल सम्पति (अवैध कब्जा) अधिनियम का कोई भी प्रकरण को ट्रेस आउट नही किया गया।

5. रेल सम्पति (अवैध कब्जा) अधिनियम :–

मामलें		कीमत		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			
पंजीकृत मामलें	पकडे गये	चोरी की गई सम्पति	बरामद सम्पति	बाहरी	रेल कर्मचारी	रिसीवर	रेसुब
01	00	6200	00	00	00	00	00

6. रेल अधिनियम के तहत पकड़ेगये मामले :–

दर्ज केसों की संख्या	कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जुर्माना राशि (रू)	टी.आर.सी. / जैल
271	256	120031/-	-

7. तम्बाकु अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही :–

पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	जुर्माना (रू)
49	9800/-

8. वाणिज्य विभाग को सहायताः–

अभियान की संख्या	नामित रेसुब स्टाफ की संख्या	बिना टिकट / मास्क पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	वसूल किया गया जुर्माना (रू)
403	432	1435	384415/-

9. अतिक्रमणः–कोई नहीं।

10. एलपीओः–दिनांक 22.02.2025 को उनि रीना मय है0कानि0 चरणजीत के गाडी सं. 15910 को मेरी सहेली अभियान चैकिंग के दौरान उक्त गाडी के एचए–01 कोच स. 197920 / सी में एक महिला यात्री ने अपनी सीट के सामने कुछ सामान पडा होना बताकर अपना यात्रा सामान रखने में परेशानी होना बताया जिस पर उनि ने उक्त महिला यात्री की सीट के पास रखे सामान के बारे में आसपास के यात्रियों से पूछताछ किया किसी भी यात्री ने उक्त सामान अपना नहीं होना बताया। जिस उनि व स्टाफ के द्वारा सामान चैक किया तो 02 नग कार्टून पैक किये हुये जिस पर रेलवे का कोई मार्का नहीं था दोनो नगो पर अमित जी सिलीगुडी 48 बॉक्स लिखा था। उक्त दोनो नग लावारिस होना पाये जाने पर कोच से प्लेटफार्म पर उतरवाया गया। गाडी सं0 15910 के लालगढ स्टेशन से प्रस्थान के उपरान्त उक्त दोनो नगो को पार्सल बाबू श्री भगवाना राम व है.कानि. चरणजीत के समक्ष खुलवाकर चैक करवाया तो उक्त दोनो नगो में बिस्कुट के पैकेज होना पाया पैकेज पर आटा बिस्कुट लिखा होना पाया तथा बिस्कुट पैकेज की एमआरपी 170 / रूपये लिखी होना पाया। दोनो नगो में 96 बिस्कुट पैकेज होना पाया और दोनो नगो का वजन पार्सल बाबू के समक्ष करने पर 35.900 किग्रा होना पाया। जिसे पार्सल कार्यालय एलपीओ में जमा करवाया गया जिसका एलपीओ न. 32 दिनांक 22.02.2025 है। उक्त दोनो नगो में बिस्कुट पैकेज की अनुमानित कीमत 170X96=16320 रूपये होनी पायी।